

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 08/2014

सायल :-
सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल:-

बरकत अली पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी 313
स्टेशन भटवाडा, पाली पुलिस थाना औद्योगिक
क्षेत्र पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
श्री प्यारे खान, विद्वान अभिभाषक गैरसायल

:: निर्णय ::

दिनांक :- 27.03.2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 20.02.2014 को गैरसायल बरकत अली पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी 313 स्टेशन भटवाडा, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षेत्र का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 1997 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	चालान नम्बर	न्यायालय निर्णय
1	औद्योगिक क्षेत्र पाली	115/09.07. 1997	13 आर0पी0जी0ओ0	81/12.07. 1997	श्रीमान ए0सी0जे0एम0 (सा.द.) पाली द्वारा 50/- रूपये जुर्माना
2	औद्योगिक क्षेत्र पाली	138/17.07. 2000	13 आर0पी0जी0ओ0	97/21.08. 2000	श्रीमान जे0एम0 संख्या 1 पाली द्वारा 50/- रूपये जुर्माना
3	औद्योगिक क्षेत्र पाली	62/18.04. 2001	13 आर0पी0जी0ओ0	49/30.04. 2001	श्रीमान जे0एम0 संख्या 1 पाली द्वारा दिनांक 30.05.2001 को 50/- रूपये जुर्माना
4	औद्योगिक क्षेत्र पाली	271/20.12. 2004	13 आर0पी0जी0ओ0	220/21.12. 2004	श्रीमान जे0एम0 संख्या 1 पाली द्वारा दिनांक 03.02.2005 को 100/- रूपये जुर्माना
5	औद्योगिक क्षेत्र पाली	71/28.02. 2005	13 आर0पी0जी0ओ0	52/07.03. 2005	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 17.03.2005 को 100/- रूपये जुर्माना
6	औद्योगिक क्षेत्र पाली	214/24.08. 2005	13 आर0पी0जी0ओ0	171/26.08. 2005	श्रीमान ए0सी0जे0एम0 पाली द्वारा दिनांक 26.08.2005 को 100/- रूपये जुर्माना
7	औद्योगिक क्षेत्र पाली	11/13.01. 2007	13 आर0पी0जी0ओ0	08/23.01. 2007	श्रीमान जे0एम0 संख्या 1 पाली द्वारा दिनांक 31.01.2007 को 50/-

शक्तिमान जिला मजिस्ट्रेट
पाली

					रूपये जुर्माना
8	औद्योगिक क्षेत्र पाली	94/18.04.2007	13 आर0पी0जी0ओ0	64/20.04.2007	श्रीमान जे0एम0 संख्या 1 पाली द्वारा दिनांक 21.04.2007 को 50/- रूपये जुर्माना
9	औद्योगिक क्षेत्र पाली	205/18.09.2007	13 आर0पी0जी0ओ0	145/23.09.2007	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 03.10.2007 को 50/- रूपये जुर्माना
10	औद्योगिक क्षेत्र पाली	85/07.04.2008	13 आर0पी0जी0ओ0	67/13.04.2008	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 22.04.2008 को 50/- रूपये जुर्माना
11	औद्योगिक क्षेत्र पाली	198/13.08.2008	13 आर0पी0जी0ओ0	160/21.08.2008	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 28.08.2008 को 50/- रूपये जुर्माना
12	औद्योगिक क्षेत्र पाली	44/16.02.2009	13 आर0पी0जी0ओ0	23/18.02.2009	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 28.07.2009 को 50/- रूपये जुर्माना
13	औद्योगिक क्षेत्र पाली	101/25.04.2009	13 आर0पी0जी0ओ0	71/28.04.2009	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 13.05.2009 को 50/- रूपये जुर्माना
14	औद्योगिक क्षेत्र पाली	20/06.02.2010	13 आर0पी0जी0ओ0	19/24.02.2010	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 18.05.2010 को 50/- रूपये जुर्माना
15	औद्योगिक क्षेत्र पाली	160/24.07.2010	13 आर0पी0जी0ओ0	121/29.07.2010	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 28.09.2010 को 50/- रूपये जुर्माना
16	औद्योगिक क्षेत्र पाली	55/19.03.2011	13 आर0पी0जी0ओ0	33/23.03.2011	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 01.04.2011 को 50/- रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल बरकत अली पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी 313 स्टेशन भटवाडा, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जुए के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन जुआरी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

सायल पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षण में गवाह नरेन्द्र कुमार शर्मा परीक्षित हुए। गवाह ने अपने बयानों में परिवाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की तथा दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जो प्रदर्श-1 से प्रदर्श-12 है। गैरसायल की ओर से कोई भी गवाह मुख्य परीक्षण में परीक्षित नहीं हुआ।

ए0पी0पी0 एवं विद्वान अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक थाने का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

वकील गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गैरसायल किसी भी रूप में जुए का धन्धा नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यु0 2002 (4) पेज 2181 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।


बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 20/2010 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2010 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50 रुपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 160/2010 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2010 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50 रुपये जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर गैरसायल गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 में विहित गुण्डा की परिभाषा में शुमार पाया जाता है। अतः उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल बरकत अली पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी 313 स्टेशन भटवाडा, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली से निष्काषित कर जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है।



गैरसायल जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा निर्धारित थाने में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल साबिर खान, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। गैरसायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल पाली जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक साबिर खान के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा निर्धारित थाने से सम्बन्धित थानाधिकारी गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी कोतवाली पाली, जिला पाली एवं जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर को भिजवाई जावे।




(भागीरथ बिश्नोई) जस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(भागीरथ बिश्नोई) जस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली